

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम, सहारनपुर।

थापुल इस्माइलपुर ग्रामीण पेयजल योजना विकास खण्ड मुजफ्फराबाद

(राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम)

हस्तान्तरण प्रपत्र

1. योजना के कार्यों का विवरण-

ग्राम पंचायत थापुल इस्माइलपुर, विकास खण्ड मुजफ्फराबाद की थापुल इस्माइलपुर पेयजल योजना की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्रांक/.....-...../..... दिनांक..... एवं मुख्य अभियन्ता (मु.क्षे.) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्रांक...../वैठक-...../...../ दिनांक.....के अन्तर्गत की गयी थी। योजना के कार्यों का प्रारम्भ माह अगस्त 14 में किया गया। योजना में अवर जलाशय, 25 कि०ली०/9 मी. स्टेजिंग, 100 कि०ली०/10 मी. स्टेजिंग, 10 कि०ली०/10 मी. स्टेजिंग, 10 कि०ली०/10 मी. स्टेजिंग, 50 कि०ली०/9 मी. स्टेजिंग, 350 कि०ली०/16 मी. स्टेजिंग, 10 कि०ली०/8 मी. स्टेजिंग, 30 कि०ली०/10 मी. स्टेजिंग, 20 कि०ली०/8 मी. स्टेजिंग, 300 कि०ली०/18 मी. स्टेजिंग, 20 कि०ली०/10 मी. स्टेजिंग, 11 नग नलकूप, 11 नग पम्प हाउस, वितरण प्रणाली 71.190 किमी., राइजिंग मेन एवं बाउण्ड्री वाल के कार्य प्रस्तावित थे। योजना के सभी कार्य पूर्ण कर योजना जनोपयोगी कर दिये गये हैं।

थापुल इस्माइलपुर योजना में सम्मिलित ग्राम/मजरा, भगवतपुर, तोता टाण्डा, टाण्डा मिश्री, महलों वाली, इस्माइलपुर, बिहारीगढ़, घेर कलिया, दामोदराबाद, नरोत्तम गढ़, सुन्दरपुर, टान्को वाला में दिनांक 16.05.2019 से पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।

कं सं० कार्य का विवरण मात्रा

(अ)- सिविल कार्य-

1.	अवर जलाशय		10 नग
i.	भगवतपुर	25 कि०ली०/ 9 मी० स्टेजिंग	1 नग
ii.	तोता टाण्डा	100 कि०ली०/10 मी. स्टेजिंग	1 नग
iii.	टाण्डा मिश्री	10 कि०ली०/10 मी. स्टेजिंग	1 नग
iv.	महलों वाली	10 कि०ली०/10 मी. स्टेजिंग	1 नग
v.	इस्माइलपुर	50 कि०ली०/9 मी. स्टेजिंग	1 नग
vi.	बिहारीगढ़	350 कि०ली०/16 मी. स्टेजिंग	1 नग
vii.	घेर कलिया	10 कि०ली०/8 मी. स्टेजिंग	1 नग
viii.	दामोदराबाद	30 कि०ली०/10 मी. स्टेजिंग	1 नग
ix.	नरोत्तमगढ़	20 कि०ली०/8 मी. स्टेजिंग	1 नग
x.	सुन्दरपुर	300 कि०ली०/18 मी. स्टेजिंग	1 नग

Gem

त कम क्लोरोनोम

11 नग

राइजिंग मेन

डी.आई.के-7

150 एम.एम. व्यास

75 मीटर

डी.आई.के-7

50 एम.एम. व्यास

175 मीटर

4. वितरण प्रणाली-

एच.डी.पी.ई. (6 किग्रा./सेमी²)

63 एमएम व्यास

62598.10 मीटर

एच.डी.पी.ई. (6 किग्रा./सेमी²)

75 एमएम व्यास

869.00 मीटर

एच.डी.पी.ई. (6 किग्रा./सेमी²)

90 एमएम व्यास

739.00 मीटर

एच.डी.पी.ई. (6 किग्रा./सेमी²)

110 एमएम व्यास

2339.00 मीटर

एच.डी.पी.ई. (6 किग्रा./सेमी²)

140 एमएम व्यास

2253.00 मीटर

एच.डी.पी.ई. (6 किग्रा./सेमी²)

160 एमएम व्यास

588.50 मीटर

एच.डी.पी.ई. (6 किग्रा./सेमी²)

200 एमएम व्यास

1554.00 मीटर

डी.आई. पाइप (6 किग्रा./सेमी²)

200 एमएम व्यास

250.00 मीटर

योग- 71190.60 मीटर

5. स्लूस वाल्व

200 एमएम व्यास

2 नग

150 एमएम व्यास

4 नग

100 एमएम व्यास

2 नग

50 एमएम व्यास

27 नग

7. फायर हाइड्रेंट

1 नग

10. घरेलू कनेक्शन

4118 नग

11. बाउण्ड्री वाल

859.15 मीटर

(ब)- पानी के रिसाव को दूर करने, जलकल की आय को बढ़ाने एवं पानी की शुद्धता बनाये रखने हेतु आवश्यक सुझाव-

1. निजी संयोजन केवल मीटर संयोजन के द्वारा ही दिये जायें।
2. योजना पर पानी इकटठा करने की क्षमता पर्याप्त है, इसीलिए पेयजल आपूर्ति निश्चित समयानुसार की जानी चाहिये जिससे कि स्टैंड पोस्ट से पानी की बरबादी रोकी जा सके।
3. जल नलिकायें, वाल्व फिटिंग्स, फायरहाइड्रेंट्स की निश्चित अवधि के अन्दर जांच की जानी चाहिये तथा अगर उनमें कोई कमी है तो तुरन्त ठीक कर देना चाहिये।
4. सार्वजनिक जल स्तम्भ जहां तक संभव हो उनको कम ही रखा जाये क्योंकि पानी की बरबादी का मुख्य स्रोत जल स्तम्भ ही होते हैं। जल स्तम्भों को टॉटी युक्त ही रखा जाये।
5. पानी का शुल्क समय समय पर पुनरीक्षित करते रहना चाहिये जिससे कि व्यय के अनुपात में आय की बढ़ोतरी हो जाये। व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से पानी की दरें अधिक ली जायें तथा उनके संयोजन बिना मीटर के न किये जायें।

व समय पर स्कावर वाल्व के द्वारा पाइप लाइन की सफाई कराते रहना चाहिए।

7. एयर वाल्व कार्यशील रखें जायें।
8. उचित व नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाना चाहिये तथा इसकी मात्रा 0.20 पीपीएम होनी चाहिये।
9. निजी संयोजन केवल रजिस्टर्ड प्लम्बर द्वारा ही कराये जायें।
10. समस्त संयोजन 15 एमएम साइज के जी.आई. पाइप के माध्यम से फेरूल द्वारा ही दिये जायें।
11. कोई भी अतिरिक्त जल नलिकायें सीवर/ताल में न डाली जायें।
12. पम्पों को न ज्यादा वोल्टेज तथा न कम वोल्टेज पर चलाया जाये। इनका संचालन न्यूनतम 370 वोल्टेज के दरम्यान किया जाये। ऐसा न करने पर पम्पों को हानि पहुंच सकती है। संचालन के समय वोल्ट मीटर व एम्पियर मीटर की रीडिंग को लोग बुक में प्रविष्टी अवश्य की जाये।

(स)- रखरखाव हेतु कार्यक्रम-

1. सामान्य-वितरण प्रणाली एवं अन्य पाइपों के रख रखाव में इस बात का ध्यान रखा जाना नितांत आवश्यक है कि पानी का दुरुपयोग किसी भी प्रकार न हो। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाये कि पानी कहां से व्यर्थ हो रहा है तथा उसको किस प्रकार रोका जाये तथा भविष्य में इसकी उत्पत्ति न हों। समय समय पर पाइप लाइनों की सफाई का भी ध्यान रखना नितांत आवश्यक है।
2. व्यर्थ पानी की मात्रा का ज्ञान करना- पानी के व्यर्थ होने में मुख्य रूप से निम्न कारण हो सकते हैं- अवर जलाशय में लीकेज होना, पाइप फट जाना, ज्वाइंट ठीक प्रकार न होना, फेरूल का जोड़ ठीक न होना, वाल्वस में ग्लेण्ड एवं वाशर इत्यादि का कट जाना। बिना मीटर के संयोजन पर पानी की टोटियों के हमेशा खुली होने के कारण पानी का दुरुपयोग सम्भव है। पाइपों में लीकेज होने पर तुरन्त ठीक कराना चाहिये।
3. जलाशय की सफाई इत्यादि का कार्य प्रत्येक 6 महीने बाद एक बार अवश्य कर लेना चाहिये। सफाई उस समय की जाये, जब जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिये जलाशय के नजदीक जो बाईपास प्रबन्ध है उसके द्वारा पेयजल आपूर्ति निरन्तर की जानी चाहिये।
4. निजी संयोजन देने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वीकृत करा लेना चाहिये। संयोजन देने से पूर्व पानी की गुणता की जांच की जाये एवं पानी का दबाव विभिन्न स्थानों पर जांच लेना चाहिये। आय व्यय का लेखा ठीक प्रकार से रखा जाये।

सारांश- उपरोक्त समस्त विन्दुओं को ध्यान में रखते हुये अगर जल सम्पूर्ति योजना का रख रखाव ठीक प्रकार से नियमों का अनुपालन, निजी संयोजन केवल फेरूल द्वारा एवं वाटर मीटर लगाकर प्रदान करना आय को समय से एकत्रित करना, किसी भी लीकेज को तुरन्त ठीक करना इत्यादि नियमित किये जायें तो योजना पूर्ण रूप से लाभकारी होगी। किसी भी तकनीकी राय के लिये उ.0प्र0 जल निगम की सेवार्थें उपलब्ध ही रहेंगी।

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत
140ग्राम-संचायक धामुल इस्माइलपुर

हस्तानान्तरण कर्ता

(प्रशान्त कुमार)
सहा0परि0अभि0

(नरेश गुप्ता)
परियोजना अभियन्ता

निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम,
सहारनपुर।

ग्राम पंचायत अधिकारी

ग्राम पंचायत

धामुल इस्माइलपुर

Jann

Jann

29/06/2020
M3